न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर जिला चूरू
पीठासीन अधिकारी – डॉ. दिव्या (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील संख्या 01/2020
अनुवान रामकुमार आदि बनाम माली आदि

1. रामकुमार पुत्र स्व. मालूराम जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान। (फौत)
   1/1 सावित्री पत्नी स्व. रामकुमार जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
   1/2 भंवरलाल पुत्र स्व. रामकुमार जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
   1/3 गिरधारीलाल पुत्र स्व. रामकुमार जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
   1/4 भवानीशंकर पुत्र स्व. रामकुमार जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. महावीर प्रसाद पुत्र स्व. मालूराम जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
3. बंशीधर पुत्र स्व. मालूराम जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
4. ब्रह्मानन्द पुत्र स्व. मालूराम जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
5. ओमप्रकाश पुत्र स्व. मालूराम जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
6. मु. सोना पुत्री स्व. मालूराम पत्नी बंशीधर जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
7. मु. शांति पुत्री स्व. मालूराम पत्नी रामकिशन जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
8. प्रहलादराय पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी पुनसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू
9. जयनारायण पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी पुनसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू
10. प्रभुराम पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी पुनसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू
11. मु. द्रोपदी पुत्री काशीराम पत्नी बजरंगलाल निवासीनी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू
12. मु. मैना पुत्री काशीराम पत्नी शंकरलाल निवासीनी फोगां तहसील सरदारशहर जिला चूरू
13. मु. बिमला पुत्री काशीराम पत्नी लक्ष्मीनारायण निवासीनी बंधनाऊ ऊतरादा तहसील सरदारशहर जिला चूरू
14. अमरचन्द पुत्र हरीप्रसाद निवासी बरजांगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
15. नेमीचन्द पुत्र हरीप्रसाद निवासी बरजांगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
16. श्रवण कुमार पुत्र हरीप्रसाद निवासी बरजांगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
17. बाबूलाल पुत्र हरीप्रसाद निवासी बरजांगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
18. मु. संतोष पुत्री हरीप्रसाद पत्नी गोपालकृष्ण निवासीनी गोगासर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू

—अपीलार्थीगण—

बनाम

1. मु. माली बेवा मालुराम जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. अर्जुनराम पुत्र स्व. मालुराम जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
3. प्रकाश कुमार पुत्र स्व. मालुराम जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
4. कालीचरण पुत्र स्व. मालुराम जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
5. राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र स्व. मालुराम जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहे. सरदारशहर जिला चूरू
6. मु. गायत्री पुत्री स्व. मालूराम पत्नी इन्द्रचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कालू बास श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर राजस्थान।
7. मु. शारदा पत्नी स्व. अमृतलाल जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान।
8. निखिल पुत्र स्व. अमृतलाल उम्र 11 वर्ष नाबालिग जरिये अपनी माता मु. शारदा पत्नी स्व. अमृतलाल जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:12:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

9. हरिओम पुत्र स्व. अमृतलाल उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये अपनी माता मु. शारदा पत्नी स्व. अमृतलाल जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
10. ग्राम पंचायत पूलासर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू

—प्रत्यर्थीगण—

अपील हस्ब धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री गोपाल कृष्ण सिहाग, विद्वान अधिवक्ता, अपीलार्थीगण की ओर से।
2. श्री रामनिवास सारण, विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण सं. 01, 02, 04 ता 09 की ओर से।
3. प्रत्यर्थी सं. 10 की ओर सरपंच ग्राम पंचायत, पूलासर तहसील सरदारशहर।
4. प्रत्यर्थी सं. 03 एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय दिनांक : 13/12/24

प्रकरण से सम्बन्धित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी सं. 10 मातहत ग्राम पंचायत पूलासर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 23.02.1996 कतई विधि विरूद्ध खिलाफ कायदा कानून एवं रूहेदाद मिसल होना कथन करते हुए अपील शपथ पत्र से समर्थित आवेदन हस्ब दफा 05 मर्यादा अधिनियम के तहत प्रस्तुत करके विलम्ब शमन करने के लिए अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपीलाधिन आदेश दिनांक 23.02.1996 से तस्दीक इ.सं. 327 को अपीलार्थीगण के विरासतन खातेदारी अधिकारो के मुकाबले आदितः शून्य (Ab initio void) होना कथन करते हुए शून्य आदेश के लिए कोई मियाद नहीं होने तथा अपीलाधिन आदेश पारित करने से पहले प्रत्यर्थी सं. 10 द्वारा अपीलार्थीगण को सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तो के विपरित आदेश पारित किया होने से इ. सं. 327 की नकल दिनांक 08.01.2020 को प्राप्त होने से सर्वप्रथम ईल्म होने से आवेदन मन्जुर फरमाकर अपील की गुणावगुण पर सुनवाई कर निर्णित करने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी के आवेदन का कोई जबाब पेश नहीं किया, ना ही काउण्टर शपथ पत्र पेश किया। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विलम्ब शमन आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील की गुणावगुण पर सुनवाई के लिए ग्रहण की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यो की पुनरावर्ति करते हुए कथन किया कि रोही मौजा पूलासर तहसील सरदारशहर में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 161, 351, 176 तादादी क्रमशः 8.16 बीघा, 6.14 बीघा, 5.03 बीघा किता 3 कुल तादादी 20 बीघा 13 बिश्वा भूमि अपीलार्थीगण के पूर्वज **स्व. मालूराम वल्द गुलाबराम पुत्र अर्जनराम** जाति ब्राह्मण नि. पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू की तन्हा खातेदारी, कब्जा, काश्त की कृषि भूमि रही है। इस भूमि को अपीलार्थीगण अपने पूर्वज के समय से ही मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में अपीलार्थीगण का ऐलानियां तौर पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त मौके पर है। अपीलार्थीगण के पूर्वज **स्व. मालूराम वल्द गुलाबराम पुत्र अर्जनराम का स्वर्गवास बमुकाम पूलासर दिनांक 20.03.1998** को हुआ तथा **प्रत्यर्थीगण 1 ता 9 के पूर्वज मालूराम वल्द गुलाबराम पुत्र रामप्रताप ब्राह्मण का स्वर्गवास दिनांक 03.08.1992 को बमुकाम पुलासर** हो गया। प्रत्यर्थीगण के पूर्वज का स्वर्गवास 03.08.1992 को हो जाने पर प्रत्यर्थीगण सं. 1 ता 6 एवं प्रत्यर्थी सं. 7 के पति तथा प्रत्यर्थीगण सं. 8 [illegible] रोही मौजा पूलासर में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 247, 121 तादादी क्रमशः 17.04 बीघा [illegible] किता 2 कुल तादादी 58 बीघा 09 बिश्वा में से विरासतन अर्जित भूमि का विरासतन इ.सं. 378 [illegible].08.2001 को दर्ज करवाकर इसी तिथि भू.अ. निरीक्षक हल्का से [illegible] तस्दीक करवा लिया जिसकी रूह से प्रत्यर्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज हो गये। अपीलार्थीगण के पूर्वज मालूराम वल्द गुलाबाराम वल्द अर्जनराम का स्वर्गवास दिनांक 20.03.1998 में हुआ। अपीलार्थीगण के पूर्वज के जीवनकाल में उनकी स्व उपार्जित खातेदारी, कब्जा, काश्त की कृशि भूमि का विरासतन इ.सं. 327 प्रत्यर्थीगण सं. 1 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

6 एवं प्रत्यर्थी सं. 7 के पति तथा प्रत्यर्थीगण सं. 8 ता 9 के पिता ने हल्का पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक पूलासर से आपराधिक षड़यंत्र करके इ.सं. 327 के खाना सं. 11 ता 16 में अंकन दर्ज करवाकर दिनांक 03.02.1996 को हल्का भू.अ.निरीक्षक से मिलान करवाकर प्रत्यर्थी सं. 10 से दिनांक 23.02.1996 को ही तस्दीक करवा लिया। दिनांक 23.02.1996 को अपीलार्थीगण के पूर्वज जीवित मौजूद थे इसलिये स्थापित विधि के मुताबिक अपीलार्थीगण के पूर्वज के जीवित मौजूद होते हुए उनके जीवनकाल में प्रत्यर्थी सं. 10 द्वारा प्रत्यर्थीगण सं. 1 ता 6 एवं प्रत्यर्थी सं. 7 के पति तथा प्रत्यर्थीगण सं. 8 ता 9 के पिता के नाम षड़यंत्रपूर्वक तस्दीक इ.सं. 327 अपीलार्थीगण के विरासतन खातेदारी अधिकारों के मुकाबले आदितः शून्य (Ab initio void) होने से अपीलार्थीगण के विरासतन अधिकारों के मुकाबले कतई प्रभावहीन है। प्रत्यर्थी सं. 10 ने निर्णय जेर अपील पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों की खुली अवज्ञा करते हुए बाला–बाला ही निर्णय एवं आदेश जेर अपील पारित कर इ.सं. 327 दिनांक 23.02.1996 विधि एवं न्यायविरूद्व तस्दीक किया होने से हर सूरत में काबिले अपास्त है। प्रत्यर्थी सं. 10 द्वारा निर्णय एवं आदेश जेर अपील पारित करने से पहले अपीलार्थीगण को सबूत एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों की अवज्ञा कर बाला–बाला ही आदेश पारित किया होने एवं अपीलार्थीगण के पूर्वज मालूराम वल्द गुलाबराम वल्द अर्जनराम के स्वर्गवास दिनांक 20.03.1998 को होने से पहले ही अपीलार्थीगण के पूर्वज के जीवनकाल में ही विरासतन नामांतरण कानूनन दर्ज एवं तस्दीक ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्रत्यर्थीगण सं. 1 ता 6 एवं प्रत्यर्थी सं. 7 के पति तथा प्रत्यर्थीगण सं. 8 ता 9 के पिता ने हल्का पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक से आपराधिक षड़यंत्र कर ग्राम पंचायत पूलासर के तत्कालीन सरपंच प्रहलादराय से साजकर अपीलार्थीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि को हड़प करने के लिये तस्दीक किया होने से प्रत्यर्थी सं. 10 द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.1996 आदितः शून्य होने से हर सूरत प्रभावहीन है। इसलिए अपीलार्थीगण की अपील मंजूर फरमायी जाकर रोही मौजा पूलासर तहसील सरदारशहर में स्थित अपीलार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि हाल ख.नं. 161, 351, 176 तादादी क्रमशः 8.16 बीघा, 6.14 बीघा, 5.03 बीघा किता 3 कुल तादादी 20 बीघा 13 बिश्वा बाबत प्रत्यर्थी सं. 10 मातहत ग्राम पंचायत पूलासर द्वारा प्रत्यर्थीगण सं. 1 ता 6 एवं प्रत्यर्थी सं. 7 के पति तथा प्रत्यर्थीगण सं. 8 ता 9 के पिता के हक में तस्दीक इ.नं. 327 दिनांक 23.02.1996 को तस्दीक किये जाने बाबत पारित निर्णय एवं आदेश को अपास्त होने से अपील मन्जुर करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण सं. 01 व 02 तथा 04 ता 09 ने अपील मंजुर करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

अपील मेमो से ही स्पष्ट साबित है कि अपीलार्थीगण के पिता **स्व. मालूराम वल्द गुलाबराम पुत्र अर्जनराम** का स्वर्गवास दिनांक 20.03.1998 को हुआ। इसलिए अपीलार्थीगण के पिता के नाम से राजस्व अभिलेखो में अभिलेखित खातेदारी भूमि ख.नं. ख.नं. 161, 351, 176 तादादी क्रमशः 8.16 बीघा, 6.14 बीघा, 5.03 बीघा किता–03 कुल तादादी 20 बीघा 13 बिश्वा वाके रोही मौजा पूलासर का विरासतन इ. सं. 327 दिनांक 23.02.1996 को अपीलार्थीगण के पूर्वज के जीवनकाल दर्ज एवं तस्दीक होना सम्भव प्रतित नहीं होता है। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण सं. 0[illegible] पूर्वज **मालूराम वल्द गुलाबराम पुत्र रामप्रताप ब्राह्मण का स्वर्गवास** दि[illegible] अपी[illegible] से प्रमाणित होने से इ.सं. 378 दिनांक 17.08.2001 को कृषि भूमि ख.नं. 447, 121 तादादी [illegible] 17.04 बीघा, 41.05 बीघा किता–02 कुल तादादी 58.09 बीघा का तस्दीक किया जाना प्रकट होता है। इसके अलावा इ.सं. 378 के खाना सं. 07 में मालूराम के अलावा रामकुमार तथा बेगाराम के वारिस[illegible] के भी नाम अंकित है तथा मालूराम के फौत होने के बाद खाना सं. 09 में स्व. मालूराम वल्द गुलाबराम के वारिसान के नाम से ग्राम पंचायत, पूलासर द्वारा इन्तकाल दिनांक 17.08.2001 को तस्दीक किया गया है। इ.सं. 327 की कॉल्म सं. 05 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

मालूराम वल्द गुलाबराम अकेले का नाम अंकित है। इसलिए उपर्युक्त दोनों इन्तकालों के अवलोकन से भी प्रकट होता है कि इ.सं. 327 के कॉल्म सं. 05 में अपीलार्थीगण के पूर्वज अकेले का नाम अंकित है। लेकिन अपीलार्थीगण के पूर्वज का स्वर्गवास दिनांक 20.03.1998 को होना ग्राम पंचायत, पूलासर द्वारा जारी कुर्सीनामा दिनांक 16.12.2019 से प्रमाणित होता है तथा अपीलार्थीगण स्व. मालूराम वल्द गुलाबराम के जायज वारिस होना प्रमाणित है। इसके अलावा मालूराम वल्द गुलाबराम की माता का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 09.12.2019 में ज्याना देवी अंकित है। अपीलार्थीगण की पुर्वजा स्व. सरस्वती देवी का स्वर्गवास दिनांक 13.04.2001 को होना मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 09.12.2019 से प्रमाणित होता है। इसलिए पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से रोही मौजा पूलासर में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 161, 351, 176 तादादी क्रमशः 8.16 बीघा, 6.14 बीघा, 5.03 बीघा किता–03 कुल तादादी 20 बीघा 13 बिश्वा भूमि अपीलार्थीगण के पूर्वज स्व. मालूराम वल्द गुलाबराम की होनी प्रमाणित होने से इसकी विरासतन खातेदारी का इ.सं. 327 दिनांक 23.02.1996 को अपीलार्थीगण के पूर्वज के जीवनकाल में ही प्रत्यर्थीगण सं. 01 ता 09 के नाम गलत दर्ज होना प्रमाणित होता है। इसलिए अपीलार्थीगण की अपील मन्जूर की जानी न्यायोचित प्रतीत होती है।

आदेश

अपीलार्थीगण की अपील मन्जूर फरमाई जाकर तहसील क्षेत्र सरदारशहर की गांव पूलासर रोही में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 161, 351, 176 तादादी क्रमशः 8.16 बीघा, 6.14 बीघा, 5.03 बीघा किता–03 कुल तादादी 20 बीघा 13 बिश्वा का प्रत्यर्थीगण सं. 01 ता 09 के नाम प्रत्यर्थी सं. 10 द्वारा तस्दीक विरासतन इ.सं. 327 दिनांक 23.02.1996 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार सरदारशहर को आदेशित किया जाता है कि रोही मौजा पूलासर में स्थित उपर्युक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के नाम उनके खातेदारी हिस्सों के मुताबिक दर्ज एवं तस्दीक करे।

(डॉ. दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

आदेश आज दिनांक 13/12/24 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन सुनाया गया।

(डॉ. दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner